



झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद

Jharkhand State Paramedical Council

रिम्स चिकित्सक आवास परिसर, बरियातु, राँची-834009, झारखण्ड, भारत
RIMS Doctors' Colony Campus, Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand, India
E-mail: jspcranchi@gmail.com Tele-Fax:-0651-2972681



(Constituted by the Department of Health, Medical Education & family Welfare, Government of Jharkhand vide Notification no- 7(A)/Paramed.-11-09/09-356(7A)Ranchi, Dated 17.9.2010)

डॉ. मार्शल आइन्द
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सह
अध्यक्ष
Dr. Marshal Aind
Director in Chief,
Health Services, Jharkhand cum
Chairman

प्रो. डॉ. विवेक कश्यप
विभागाध्यक्ष,
पीएसएम विभाग,
रिम्स, राँची सह
सदस्य-सचिव एवं कार्यकारी
निदेशक
Prof. Dr. Vivek Kashyap
HOD, PSM Dept.
RIMS, Ranchi cum
Member Secretary &
Executive Director

प्रो. डॉ. डी के सिन्हा
शल्य विभाग, रिम्स, राँची सह
परीक्षा नियंत्रक
Prof. Dr. D K Sinha
Surgery Dept. RIMS,
Ranchi cum
Examination Controller

प्रो. डॉ. आर के गुप्ता
चक्षु रोग विभाग, रिम्स, राँची सह
शैक्षणिक समन्वयक
Prof. Dr. R K Gupta
Dept. of Ophthalmology
RIMS, Ranchi cum
Academic Coordinator

डॉ. एम. दीपक लकड़ा
निबंधक
Dr. M. Deepak Lakra
Registrar

सं.सं.पारा.मेडि. 04/2011.....133..... राँची, दिनांक 10/08/2021

कार्यालय आदेश

दिनांक 23/07/2021 को सम्पन्न शासी परिषद् की बैठक में लिये गये निम्न निर्णय को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है।

1. इस कार्यालय के ज्ञापांक 94 दिनांक 06/05/2021 के द्वारा पारामेडिकल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया **Diploma in Critical Care Technology** का नाम बदल कर **Diploma in ICU Technician** रखा गया।
2. नये पारामेडिकल संस्थान खोलने के प्रस्ताव के साथ काउंसिल को जमा किये गये मान्यता शुल्क राशि की वापसी की मांग किये जाने पर संबंधित संस्था को प्राप्त शुल्क से 5% राशि काटकर भुगतान किया जायेगा। यह निर्णय दिनांक 16/06/2020 के बाद आवेदन करने वाले संस्था पर लागू होगा।
3. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को नये पारामेडिकल संस्थान खोलने, सीटवृद्धि एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम बढ़ाने के लिये काउंसिल में जमा किये जाने वाले शुल्कों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया।
4. **Diploma in ECG Technician** पाठ्यक्रम का नाम बदल कर **Diploma in ECG / Non Invasive Cardiology Lab Technician** रखा गया। इसके पाठ्यक्रम में भी आंशिक बदलाव किया गया है, जो अगले सत्र से लागू होगा।
5. **ST/SC** के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के निबंधन शुल्क में कमी की गयी है, जो निम्न प्रकार है :-

सामान्य / बी.सी.1 / बी.सी.2 - रु.1500/- (पूर्ववत)

ST/SC - रु.750/-

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

6. अगले सत्र से अनिवार्य रूप से माइग्रेशन प्रमाण पत्र शुल्क लेने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिन्हें माइग्रेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी वे शुल्क के साथ काउंसिल को आवेदन देंगे, तत्पश्चात माइग्रेशन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। अब पाठ्यक्रम निबंधन के समय प्रति छात्र मात्र रु.500/- की दर से राशि देय होगी।
7. **Diploma in O.T. Assistant** पाठ्यक्रम के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए **Diploma in O.T. Technician /Assistant** किया गया।

ज्ञापांक 133 पारा.मेडि. 04/2011 राँची, दिनांक 10/08/2021 (सदस्य सचिव)
प्रतिलिपि:- सरकार के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चि.शि. एवं प.क.विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संयोजक राजकीय पारामेडिकल संस्थान रिम्स, राँची, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद, एम.जी.एम.एम.सी.एच., जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थान, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(सदस्य सचिव)